परिशिष्ट–1

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मार्च 2013—चैत्र 2, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. एफ–19–1–2013–बारह–1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में,—

(1) खण्ड (बारह) में शब्द ''संयुक्त संचालक'' के पश्चात् , शब्द ''अधीक्षण भौमिकीविद्'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (उनतीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

(तीस) ''पर्यावरण'' और ''पर्यावरण संबंधी प्रदूषण'' के वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में क्रमश: उनके लिये दिए गए हैं;

(इकतीस) ''जिला स्तरीय पर्यावरण समिति'' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित समिति;

(बत्तीस) ''पर्यावरण प्रबंधन योजना'' से अभिप्रेत है उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदानधारी द्वारा प्रस्तुत की गई योजना जो इन नियमों के अधीन किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की गई हो और जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा अनुमोदित की गई हो;

(छह) अनुज्ञप्तिधारी, उसी क्षेत्र में अथवा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों से दुगुने वृक्ष लगाएगा और अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान उनका संधारण करेगा.

(सात) अनुज्ञप्तिधारी, निजी भूमि की दशा में, भूमि स्वामी को, भूमि पर प्रवेश की अनुमति के पूर्व, परस्पर सहमति के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा.

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी उपाय करेगा और वन भूमि की दशा में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए नये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा.

(नौ) इन नियमों द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक पर अधिरोपित किसी शर्त का भंग किये जाने पर, मंजूरी प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकेगा. परन्तु ऐसा कोई भी आदेश अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा.";

11. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"17 **उत्खनन पट्टे का नवीकरण.**—उत्खनन पट्टे के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र उस तारीख से जिसको कि ऐसे पट्टे का अवसान होना हो, कम से कम एक वर्ष पूर्व दिया जाएगा. विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और 1000/- रुपये प्रतिमाह की शास्ति अधिरोपित करते हुए ऐसे आवेदन का निपटारा कर सकेगा:

परन्तु किसी भी दशा में नवीकरण के लिए आवेदन पट्टे का अवसान होने की तारीख के तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.";

12. नियम 18 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) मंजूरी प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह ठीक समझे. मंजूरी प्राधिकारी, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उत्खनन पट्टा मंजूर किए जाने अथवा मंजूर किए जाने से इंकार किए जाने अथवा पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले उत्खनन पट्टे का नवीकरण करने अथवा नवीकरण करने से इंकार करने का विनिश्चय कर सकेगा. आवेदक को सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक ऐसी सूचना के छह मास के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा. परन्तु यदि सैद्धांतिक मंजूरी 5 हैक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक, ऐसी सूचना की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14-9-2006 के अधीन अभिप्राप्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात्, मंजूरी प्राधिकारी, उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने अथवा उसका नवीकरण किए जाने का आदेश जारी करेगा. यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समय अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों से समय अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु कोई भी नया उत्खनन पट्टा संबंधित ग्रामसभा का अभिमत लिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा छः मास की कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो नियम 6 में यथा वर्णित वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा किया जायेगा."

13. नियम 21 में,—

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द तथा अंक "अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 को छोड़ते हुए", के स्थान पर, शब्द तथा अंक "अनुक्रमांक 1 तथा 3 को छोड़ते हुए" स्थापित किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''परन्तु आवेदक को अनुज्ञा की सैद्धान्तिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर जिलास्तरीय पर्यावरण समिति से अनुमति लेकर प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह और कि यदि सैद्धान्तिक मंजूरी पांच हेक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत प्राप्त पर्यावरण अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा की मंजूरी का आदेश जारी करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों के आधार पर यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समयावधि में पूरी न की जा सकी हों तो समयावधि बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु यह भी कि उत्खनन अनुज्ञाधारी/ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लगे हो, निर्माण कार्य में उपयोग में लाए गए खनिज उत्खनन अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिज अथवा खुले बाजार से क्रय किए जाकर उपयोग में लाए गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए नो माइनिंग ड्यूज अभिप्राप्त करेंगे. नो माइनिंग ड्यूज प्रमाण-पत्र, खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन शाखा द्वारा निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार/उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा''.

(3) उपनियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(दो) ऊपर खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में, मुरम की अनुज्ञा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक द्वारा या संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जाएगी और ऐसी अनुज्ञा जारी की जाने के पूर्व उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी और जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जाएगी तथा संबंधित मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक अथवा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री, कलक्टर कार्यालय से अभिवहन पास अग्रिम में प्राप्त करेंगे और ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेगा तथा संबंधित कलक्टर को प्रत्येक तीन मास से उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत कराएगा. उत्खनित की गई गौण खनिज की मात्रा के आधार पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा रायल्टी की रकम प्रत्येक वर्ष 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को नियम 10 के उपनियम (2) में विहित ''आगम प्राप्ति शीर्ष'' में, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जमा की जाएगी.''.

(4) उपनियम (5) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु आवेदक को अनुज्ञा की सैद्धान्तिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर जिलास्तरीय पर्यावरण समिति से अनुमति लेकर प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि सैद्धांतिक मंजूरी पांच हेक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत प्राप्त पर्यावरण अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा. मंजूरी प्राधिकारी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा की मंजूरी का आदेश जारी करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों के आधार पर यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समयावधि में पूरी न की जा सकी हों तो समयावधि बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा.''.

(5) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (6) जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''6 नियम 3 के खण्ड (तीन) के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, यदि निजी अथवा सरकारी भूमि पर निजी/सरकारी संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा तालाब, बांध, नहर, स्टॉपडेम, जल निकाय भवन, सड़कें आदि निर्मित किए जाने से तथा भूमि के समतलीकरण से उत्खनित गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम रायल्टी देय होगी. निर्माण एजेन्सी ऐसे उत्खनन से प्राप्त खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु संबंधित जिले के खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से उत्खनन अनुज्ञा प्राप्त करेगा. संबंधित जिले का खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा आवश्यक जांच करने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा जारी करेगा.'';